न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-611/2010

संस्थित दिनांक-28.12.2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

- पारस सैन पुत्र आशाराम सैन उम्र 28 साल, निवासी गुमट मोहल्ला
- 2. मोहम्मद संगीर पुत्र कल्लू खां मुसलमान उम्र 29 साल, निवासी खटकयाना मोहल्ला
- पूरन सिंह पुत्र कोमल सिंह यादव उम्र 41 साल ग्राम प्राणपुर,
- अमोल सिंह पुत्र तोरन सिंह यादव उम्र 45 साल, निवासी ग्राम प्राणपुर सभी निवासीगण तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 13.10.2017 को घोषित)</u>

01—अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 414, 379 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 04.07.2010 को समय करीबन 04:00 बजे मेघाशान मंदिर के पास चंदेरी में तुम अभियुक्त अमोल सिंह एवं पूरण सिंह ने फरियादी राजकुमार सिंह के आधिपत्य की चार भैंसे उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले जाने का आशय रखते हुये उन्हें हटा कर चोरी कारित की एवं अभियुक्त पारस सैन एवं अभियुक्त मोहम्मद सगीर ने यह जानते हुये अथवा यह विश्वास करने का कारण रखते हुये कि उक्त भैंसे चोरी की है, उन्हें छुपाने में या व्ययनीत करने या इधर उधर करने में अभियुक्त अमोल सिंह व पूरन सिंह की स्वेच्छया सहायता की।

- 02-अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 04.07.2010 को सुबह फरियादी ने अपनी चार भैंसे 6 बजे घर से चराने के लिये निकाल दी थी, फरियादी की चारों भैंसे मेघालय मंदिर के पास पठाए पर चर रही थी, करीबन 4 बजे शामं को फरियादी अपनी भैसे लेने गया तो राजकुमार भैंसे वहा पर नही मिली, कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है, राजकुमार भैसों के हुलिया बताया है, 1 एक भैंसे काली उम्र करीबन 12 साल दोनों सींग टूटे, जो ग्यावन है जिसकी कीमत 7000 रूपये 2. एक भैस जिसकी उम्र 10 साल माथे पर सफेद निशान, एक सींग पीछे की ओर जिसकी कीमत 3000 रूपये 3. एक भैंस काली उंची उम्र 5 साल दूध देती हैं जिसकी कीमत 10000 रूपये 4. एक भैंस काली कद छोटा उम्र 4 साल जिसकी कीमत 5000 रूपये है। फरियादी राजकुमार के द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-270 / 10 अंतर्गत धारा-379 भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतू न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 03-अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूटा फंसाया गया है।

04-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- क्या अभियुक्त पूरन सिंह एवं अमोल सिंह ने दिनांक 04.07.2010 को समय 04 बजे मेघाशान मंदिर के पास चंदेरी से फरियादी राजकुमार के आधिपत्य की चार भैंसे उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले जाने का आशय रखते हुये उन्हें हटा कर चोरी कारित की ?
- क्या अभियुक्त पारस सैन एवं अभियुक्त मोहम्मद सगीर ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी के चार भैंसे को यह जानते हुये अथवा यह विश्वास करने का कारण रखते हुये

कि वह चुराये हुये हैं, उन्हें छुपाने में या व्ययनीत करने या इधर उधर करने में अभियुक्त अमोल सिंह व पूरन सिंह की स्वेच्छया सहायता की ?

3. दोष सिद्धि व दोष मुक्ति ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

विचारणीय प्रश्न कमांक 1, 2 व 3 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 05— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुर्नवृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन की ओर से प्रकरण में अभियुक्त पारस के मैमोरेण्डम प्रदर्श—पी—6 एवं अभियुक्त सगीर के मैमोरेण्डम प्रदर्श—पी—7 की साक्षी जैन सिह (अ०सा0—5) सिहत जप्ती व गिरफतारी के के साक्षी के रूप में ईदमोहम्मद (अ०सा0—1) व मुज्जफर खां (अ०सा0—2) के कथन न्यायालय में कराये गये। वहीं प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी प्रधान नरेंद्र सिंह (अ०सा0—4) व प्रधान आरक्षक जंगबहादुर (अ०सा0—3) के कथन न्यायालय में कराये गये। यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण के विचारण के दौरान फरियादी राजकुमार सिंह व मैमोरेण्डम प्रदर्श—पी—6 व ७ के अन्य साक्षी देवीलाल के फोत हो जाने के कारण उनकी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है।
- 06— फरियादी राजकुमार सिंह के अलावा घटना का अन्य कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा राजकुमार के प्रकरण में कथन न होने से घटना की प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। घटना में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक प्रधान आरक्षक रामदास को प्रकरण में अभियोजन की ओर से साक्षी नहीं बनाया गया तथा फरियादी के फौत हो जाने के बाद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित करने के लिये प्रधान आरक्षक रामदास की साक्ष्य भी अभिलेख पर नहीं है। अतः दिनांक 04.07.10 करे शाम 04:00 बजे मेघाशान माता के मंदिर के पास फरियादी की चार भैंसों की चोरी हुई थी इस तथ्य को साबित करने के लिये अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
- 07— फरियादी राजकुमार सिंह की चार भैंसे चोरी हो जाने की घटना साबित न होने से वैसे ही अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होते है,

परन्तु तर्क के लिये अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्ष्य का विवेचन भी किया जाना आवश्यक हैं। अतः तर्क के लिये कि मुख्य रूप से यह देखा जाना है कि यदि फरियादी की भैंसों की चोरी हुई भी थी, तो उसने में अभियुक्तगण की क्या भूमिका थीं। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध की गई हैं

- 08— यह उल्लेखनीय है कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा कारित की गई चोरी की घटनाओं में मुख्यतः कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि आम तौर पर चोरी की घटना की जानकारी चोरी होने के बाद ही पीडित पक्ष को होती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में चोरी की गये माल की बरामदगी किससे हुई एवं उक्त माल किसकी निशानदेही पर बरामद हुआ, यह मुख्य रूप से महत्वपूर्ण होता है और अभियुक्तगण के विरूद्ध चोरी का अपराध साबित करने के लिये उक्त बिंदू अभियुक्तगण के विरूद्ध संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पर होता है। वर्तमान प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में भैसों की बरामदगी अनुसंधानकर्ता अधिकारी नरेंद्र सिंह (अ०सा0—4) के द्वारा की ही नहीं गई। प्रधान आरक्षक जंगबहादुर सिंह (अ०सा0—3) के द्वारा की न्यायालय में पुलिस थाना चंदेरी के अन्य अपराध कमाक 291/10 में अभियुक्त पारस से चोरी की घटना प्रयुक्त महेंद्रा जीप एम०पी० 08 जी० 0549 एवं अभियुक्त सगीर से महेंद्रा जीप यू०पी० 93 टी० 3391 में कागजात के जप्त किया जाना बताया है तथा उक्त प्रकरण के जप्त पंचनामों की छायाप्रति प्रदर्श—पी—3 सी व 4 सी इस प्रकरण में प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराई गई है।
- 09— अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में अभियुक्त पारस व सगीर से कोई वाहन जप्त ही नही किया गया, बल्कि अन्य प्रकरण में जप्तशुदा वाहन के जप्ती पत्रक की छायाप्रित इस प्रकरण में प्रस्तुत की गई है। जो कि प्रकरण की जप्ती के रूप में सर्वप्रथम तो इस अपराध क्रमांक जप्ती के तौर पर साक्ष्य में ग्राहय नही है वही प्रदर्श—पी—3 सी व 4 सी को द्वितीय साक्ष्य के रूप में साक्ष्य में ग्राहय किये जाने की न तो कार्यवाही की गई और न ही प्रदर्श—पी—3 सी व 4 सी स्वयं में ही द्वितीय साक्ष्य है क्योंकि उसका मिलान मूल जप्तीपत्रकों से करके प्रकरण में प्रदर्शित नही हुआ है। अतः इस प्रकरण में अभियुक्त पारस व सगीर से कोई वाहन की जप्ती नही हुई है।
- 10—अभियुक्तगण सगीर व पारस सैन को प्रकरण में अभियोजित करने का अभियोजन के पास मुख्य आधार प्रकरण अभियुक्त पारस का दिया गया मैमोरेण्डम प्रदर्श—पी—6 है अभियुक्त सगीर का लिया गया मैमोरेण्डम

प्रदर्श—पी—7 है, जिसमें अभियुक्त सगीर के द्वारा अपनी पिकअप गाडी यू०पी० 93—3391 एवं अभियुक्त पारस के द्वारा एम0पी० 08—0549 से फरियादी की भैंसे अन्य अभियुक्त अमोल सिंह व पूरन सिंह के कहने पर धौलपुर लेकर जाकर छोडकर आना बताया गया है।

- 11— अनुसंधानकर्ता अधिकारी नरेंद्र सिंह (अ०सा०—४) ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि उसके द्वारा अभियुक्त पारस सैन व मोहम्मद सगीर को गिरफ्तार कर उपरोक्त अभियुक्तगण से पूछताछ कर मैमोरेण्डम प्रदर्श—पी—6 व 7 बनाया था। अनुसंधानकर्ता अधिकारी नरेंद्र सिह (अ०सा०—४) ने अपने कथनों में यह कहीं भी स्पष्ट नही किया है कि उसके द्वारा अभियुक्त अमोल सिंह व पूरन सिंह को प्रकरण में अभियुक्त किस आधार पर बनाया गया। यह उल्लेखनीय है कि नरेंद्र सिंह (अ०सा०—४) के किसी भी अभियुक्त से इस प्रकरण में भैंसों की नही की गई, वहीं मैमोरेण्डम प्रदर्श—पी—6 व 7 में उल्लेखित वाहन भी इस प्रकरण में अभियुक्त पारस व सगीर से जप्त नही किये गये। अतः प्रकरण में प्रदर्श—पी—6 व 7 के मैमोरेण्डम के आधार पर प्रकरण में कोई जप्ती नही की गई है।
- 12— प्रधान आरक्षक नरेंद्र सिंह (अ०सा०—4) ने अपने न्यायालीन कथनों में यह कथन दिये है कि अभियुक्त पारस सैन ने प्रदर्श—पी—6 के मैमोरेण्डम में एवं अभियुक्त सगीर ने प्रदर्श—पी—7 के मैमोरेण्डम में यह बताया था कि अभियुक्त अमोल सिंह व पूरन सिंह उन्हें दुगना भाडा देकर उनकी पिकअप वाहन किराये पर ली थीं, जिसमें दोनों आरोपीगण ने भैंसे भरकर मुरैना रोड पर उतारी थीं, जिनके बारे में अभियुक्त अमोल सिंह व पूरन सिंह ही बता सकते हैं।
- 13— सर्वप्रथम तो मैमोरेण्डम प्रदर्श—पी—6 व 7 के एक मात्र साक्षी जैन सिंह (अ०सा०—5) ने स्वयं ही मैमोरेण्डम प्रदर्श—पी—6 व 7 पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार करता हैं, परन्तु पुलिस के द्वारा उसके सामने अभियुक्तगण से पूछताछ कर धारा 27 का मैमोरेण्डम लिया गया, इस बात पर अभियोजन का समर्थन नही करता है। विधि द्वारा यह सुस्थापित है कि मैमोरेण्डम जप्ती व गिरफ्तारी के पत्रक मात्र प्रदर्श हो जाने से स्वतः साबित नही होते है और न ही वह उसमें उल्लेखित कार्यवाही का निश्चायक प्रमाण होते है। उसमें उल्लेखित कार्यवाही को मौखिक साक्ष्य से साबित करना होता है।

- 14— ईदमोहम्मद (अ०सा०—1) प्रदर्श—पी—1 व 2 के गिरफ्तारी पत्रक एवं प्रदर्श—पी—3 सी व 4 सी के जप्ती पंचनामें पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार करता है, परन्तु इस साक्षी ने इस बात पर अभियोजन का समर्थन नहीं किया कि पुलिस ने उसके सामने अभियुक्त पारस सैन से महेंद्रा पिकअप वाहन एम०पी० 08 जी०ए० 0549 एवं अभियुक्त सगीर से महेंद्रा बुलेरो पिकअप यू०पी० 93 टी० 3391 जप्त किया था। मुज्जफर खानं (अ०सा०—2) अपने कथनों में यह तो स्वीकार करता है कि उसका महेंद्र पिकअप वाहन एम०पी० 08—0549 को चलाता था तथा बुलेरो पिकअप वाहन यू०पी० 93 टी० 3391 साक्षी ईदमोहम्मद के नाम पर हैं, परन्तु इस साक्षी ने भी अभियोजन का इस बात पर समर्थन नहीं किया कि उक्त वाहन की जप्ती अभियुक्त पारस सैन से एवं बुलेरो वाहन कमांक यू०पी० 93 टी० 3391 की जप्ती पुलिस ने अभियुक्त सगीर की थीं।
- 15— अतः अनुसंधानकर्ता अधिकारी सहित जप्ती व गिरफतारी के साक्षियों के कथनों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त पारस सैन से नरेंद्र सिंह (अ0सा0—4) ने महेंद्रा पिकअप वाहन एमपी 08—0549 एवं अभियुक्त सगीर से बुलेरो वाहन कमाक यू0पी0 93 टी 3391 इस प्रकरण में जप्त किया गया। अभियुक्तगण सगीर व पारस सैन को उक्त पिकअप वाहनों फरियादी के भैंसों चोरी कर ले जाते हुये किसी देखा इस संबंध में अभिलेख पर न तो साक्ष्य उपलब्ध हैं और न ही अभियोजन के पास इस तथ्य को साबित करने के लिये की फरियादी की भैसें पारस सैन ने महेंद्रा पिकअप वाहन एम0पी0 08—0549 एवं अभियुक्त सगीर से बुलेरो वाहन कमाक यू0पी0 93 टी0 3391 से ले जाकर चोरी करने में अन्य अभियुक्तगण की मदद की, उसको साबित करने के लिये कोई युक्तियुक्त आधार अभिलेख पर नहीं है।
- 16— अभियुक्तगण को इस प्रकरण में अभियोजित करने के लिये अभियोजन के पास एक मात्र पारस सैन का मैमोरेण्डम प्रदर्श—पी—6 व अभियुक्त सगीर का मैमोरेण्डम प्रदर्श—पी—7 है, जो कि सर्वप्रथम तो साक्षियों के कथनों से ही साबित नहीं होता हैं ओर तर्क के लिये उक्त मैमोरेण्डम का लिया जाना एवं अभियुक्त के द्वारा मैमोरेण्डम में दी गई जानकारी पुलिस को दी गई यह मान भी लिया जावे तब भी चूंकि उक्त मैमोरेण्डम के आधार पर चोरी गये माल की कोई बरामदगी अनुसंधानकर्ता अधिकारी नरेंद्र सिंह (अ0सा0—4) के द्वारा किसी अभियुक्त से नहीं की गई है, इसलिए उक्त मैमोरेण्डम के आधार पर किसी अभियुक्तगण के विरूद्ध फरियादी को भैसों को चोरी करने व चोरी करने में मदद करने के आरोप साबित नहीं होते हैं।

- 17— यह उल्लेखनीय हैं कि निश्चित रूप से मैमोरेण्डम प्रदर्श—पी—6 व 7 में यह उल्लेख है कि अभियुक्त पारस सैन व सगीर ने अभियुक्त अमोल सिंह व पूरन सिंह के कहने पर फरियादी के भैंसे चोरी करके उन्हें बेचने के लिये अपने अपने पिकअप वाहन से धौलपुर ले गये थे और यदि उक्त संस्वीकृति को अभियुक्तगण के द्वारा पुलिस को दिया जाना मान भी लिया जावे तब भी उपरोक्त कथन अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत साबित नहीं किया जा सकते हैं।
- 18— अतः सर्व प्रथम तो अभियुक्त पारस सैन व अभियुक्त सगीर को किसी भी व्यक्ति ने चोरी करते हुये नहीं देखा। प्रकरण में अभियुक्त अमोल सिंह व पूरन सिंह से पुलिस के द्वारा कोई पूछताछ नहीं की गई न ही उनका मैमोरेण्डम लेकर भैंसो की कोई बरामदगी ही प्रकरण में की गई है। मैमोरेण्डम प्रदर्श—पी—6 व 7 में अभियुक्त पारस सैन व अभियुक्त सगीर के द्वारा स्वयं व अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राहय नहीं है।
- 19— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में सफल नहीं हुआ कि दिनांक 04.07.2010 को समय करीबन 04:00 बजे मेघाशान मंदिर के पास चंदेरी में तुम अभियुक्त अमोल सिंह एवं पूरण सिंह ने फरियादी राजकुमार सिंह के आधिपत्य की चार भैंसे उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले जाने का आशय रखते हुये उन्हें हटा कर चोरी कारित की एवं अभियुक्त पारस सैन एवं अभियुक्त मोहम्मद सगीर ने यह जानते हुये अथवा यह विश्वास करने का कारण रखते हुये कि उक्त भैंसे चोरी की है, उन्हें छुपाने में या व्ययनीत करने या इधर उधर करने में अभियुक्त अमोल सिंह व पूरन सिंह की स्वेच्छया सहायता की।
- 20— फलतः अभियुक्त पूरन सिंह पुत्र कोमल सिंह एवं अमोल सिंह पुत्र तोरन सिंह यादव के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा 379 के आरोप प्रमाणित न होने से उन्हें भा०द०वि० की धारा 379 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है एवं अभियुक्त पारस पुत्र आशाराम सैन एवं मोहम्मद सगीर पुत्र कल्लू खां के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा 414 के आरोप प्रमाणित न होने से उन्हें भा०द०वि० की धारा 414 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

21— अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नही है।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत मेरे बोलने पर टंकित किया गया। हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)